छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

क्रमांक एफ: 10-49/2024/17-दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन लिमि.
सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः- DPDMIS में दवा एवं कन्ज्युमेबल स्टॉक मैनेजमेंट एवं स्थानाय क्रय के ऑनलाईन प्रविस्टि के संबंध में।

संदर्भः-आपका प्रस्ताव क्रमांक/6624/सी.जी.एम.एस.लिमि./तकनीकी/2024, दिनांक 30.08.2024

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित द्वारा DPDMIS में दवा एवं कन्ज्युमेबल स्टॉक मैनेजमेंट एवं स्थानीय क्रय के ऑनलाईन प्रविष्टि के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

(विजय कुमार चौधरी)
उप सचिव 10/2024
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

पृ.क्रमांकः एफ 10-49/2024/17-दो

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, (छत्तीसगढ़)।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, (छत्तीसगढ़)।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, (छत्तीसगढ़)।

की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4.स्टॉक फाईल

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(छ.ग. शासन का उपक्रम) CIN-U85110CT2010SGC022089
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यवसायिक परिसर, मंत्रालय तल,
दक्षिण पूर्व कॉर्नर, सेक्टर-27, अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)-492015
वेबसाईट- www.cgmsc.gov.in ई-मेल medicine.cgmsc@gov.in

क्रमांक/662/सीजीएमएससी लिमि./तकनीकी/2024 नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.02.24

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषयः **DPDMIS में दवा एवं कन्ज्युमेबल स्टॉक मैनेजमेंट एवं स्थानीय क्रय के ऑनलाईन प्रविष्टि के संबंध में।**

संदर्भः पत्र क्रमांक/157 नि.सं./सं. लो.स्वा. एवं परि. क.वि./2019 अटल नगर, दिनांक 27.03.2019

उपरोक्त विषय में राज्य में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए दवाओं के स्टोर मैनेज करने हेतु Drug Procurement & Distribution MIS बनाया गया है। जिसमें सभी संस्थाओं को दवाओं का मांग पत्र प्राप्ति, वितरण, संस्थाओं के मध्य दवाओं (Excess/Shortage) का ट्रांसफर को ऑनलाईन पोर्टल में प्रतिदिन दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उक्त पोर्टल से ही स्थानीय क्रय, एनओसी जनरेट एवं क्रय आदेश जारी किया जाना अनिवार्य किया गया था।

पूर्व में एनओसी बिना किसी मानिटरिंग के DPDMIS के द्वारा संबंधित वेयरहाउस में स्टॉक आउट होने पर Automatically जारी कर दिया जाता था। वर्तमान में एनओसी Automatically जारी ना करते हुये निम्नलिखित आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है–

- एनओसी हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से DPDMIS पोर्टल में आवेदन करना होगा।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन उक्त आवेदन पर संबंधित जिले के अन्य स्वास्थ्य ईकाईयों पर एक्सेस स्टॉक, Optional Drugs (Same Pharmacological Drug) को देखकर सीजीएमएससी लिमिटेड को अग्रेषित करना होगा।
- उक्त आवेदन पर सीजीएमएससी लिमिटेड को 48 घंटे में निर्णय लेकर स्वास्थ्य संस्थाओं को DPDMIS के माध्यम से अवगत कराना होगा।
- अगर 48 घंटे में सीजीएमएससी लिमिटेड अपने निर्णय से स्वास्थ्य संस्थाओं को अवगत नहीं कराया या निर्णय नहीं लिया गया तो एनओसी स्वतः जारी हो जावेगी।
- एनओसी प्राप्त करने उपरांत DPDMIS में क्रय आदेश की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।

उक्त उल्लेखित पर सहमति की दशा में DPDMIS पोर्टल पर संशोधन किया जा रहा है एवं मेनुअल, ट्रेनिंग एवं आवश्यक संशोधन हो जाने पर जानकारी पृथक से दी जावेगी।

प्रबंध संचालक
सी.जी.एम.एस.सी. लिमि.,
नवा रायपुर अटल नगर

# कार्यालय
# छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(छ.ग. शासन का उपक्रम) CIN-U85110CT2010SGC022089
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यवसायिक परिसर, चतुर्थ तल,
दक्षिण पूर्व कॉर्नर, सेक्टर–27, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)- 492015
वेबसाईट– www.cgmsc.gov.in ई–मेल medicine.cgmsc@gov.in

क्रमांक/6625/सी.जी.एम.एस.सी. लिमि./तकनीकी/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.08.2(

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति।

प्रबंध संचालक
सी.जी.एम.एस.सी. लिमि.,
नवा रायपुर अटल नगर

# Drug Procurement & Distribution Management Information System (DPDMIS)

# NOC GENERATION & APPROVAL SYSTEM FOR DHS

**Sep-2024**


***CHHATTISGARH MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD***

4th Floor, C.G Housing Board Commercial Complex,
South East Corner
Sector 27, Atal Nagar
Nava Raipur (CG) Pin 492015

# Facts on NOC Generation on DHS Level

- DPDMIS में DHS द्वारा जिलेवार दिए गए वार्षिक/अन्य मांगपत्र को CMHO Store द्वारा Facility wise Distribution/Reshuffle ,Online किया जाता है |
- उपरोक्तानुसार CMHO से Distribution पश्चात स्वास्थ्य संस्था 'X' हेतु दवा की वार्षिक मात्रा निर्धारित हो जाती है |
- संस्था द्वारा Fixed Balance Annual indent के आधार पर ही NOC Apply किया जाता है, जो कि निम्नानुसार होगा :-

  **Balance Indent = CMHO Fixed Annual Indent - (Warehouse Issued QTY + Already Generated Valid NOC)**

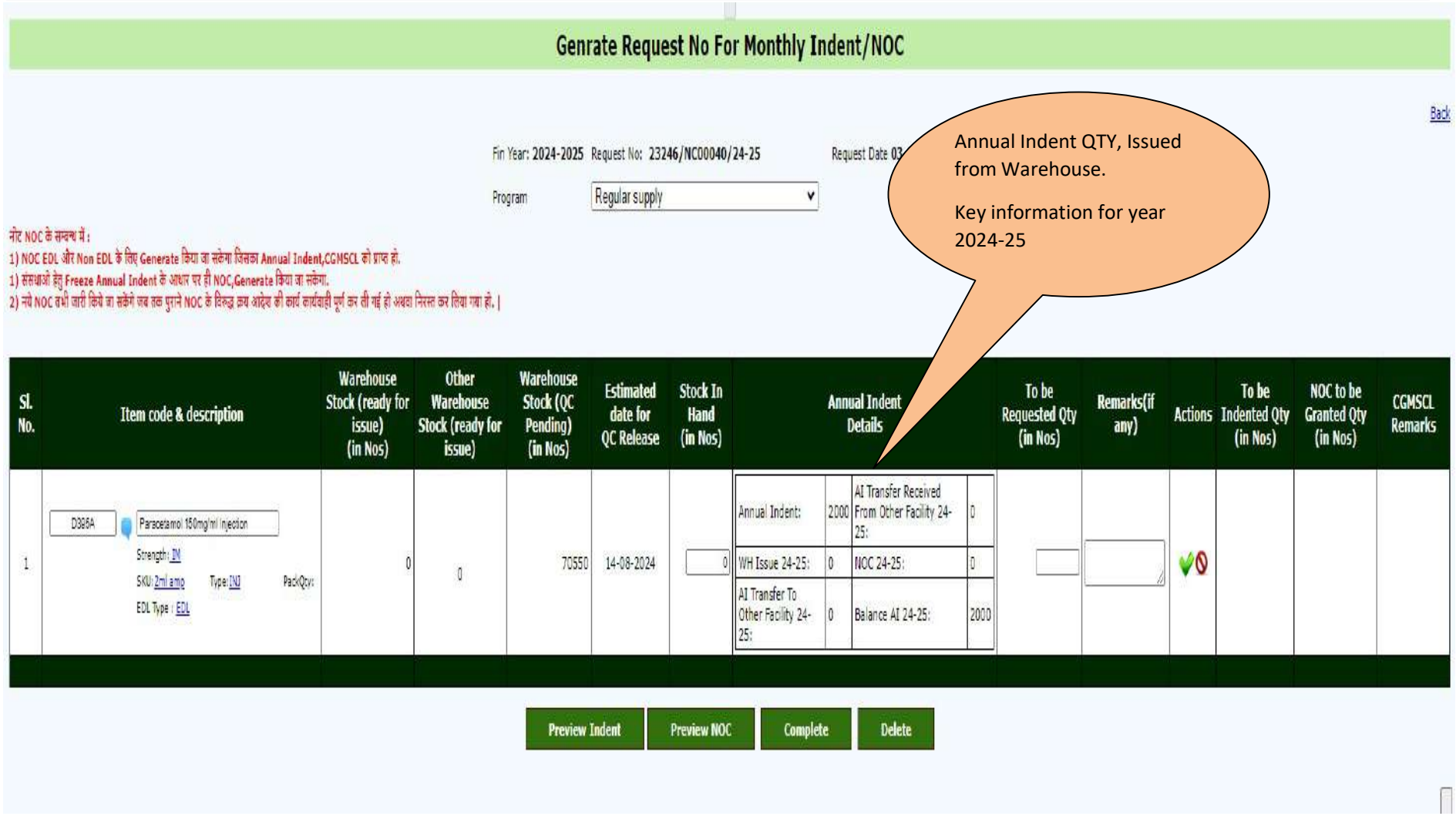
- CHC/CH/MHC/UPHC/PHC के Case में स्वास्थ्य संस्था द्वारा NOC Apply करने के पश्चात Automatic NOC नहीं दिया जावेगा।
- उपरोक्त संस्थाओ से Applied NOC को CMHO Store द्वारा जिले में संस्थावार Current Stock एवम Balance Annual indent तथा Old NOC की जानकारी का अवलोकन करते हुये Decision लिया जावेगा। यदि किसी स्वास्थ्य केंद्र को किसी सामाग्री के लिये NOC की आवश्यकता है एवं उस सामग्री का स्टॉक जिले मे उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति मे CMHO Store द्वारा NOC को Approve करके CGMSC को Forward किया जा सकेगा अन्यथा NOC Reject करते हुये Other facility के Excess Stock या CMHO Store के Current Stock से उपलब्ध कराना होगा |

- CMHO/District Hospital के Case में NOC Approval के लिए Direct CGMSC को Forward हो जाएगी |
- CGMSC को Concern Warehouse के Ready या Under QC Stock या Other Warehouse के Stock का अवलोकन करना होगा एवम CMHO Store से Forward किये गये NOC में Next 48 Hours मे Decision लेकर Final NOC Quantity की मात्रा एव Remarks की Entry करनी होगी।
- CGMSC से Approved होने के पस्चात NOC को संस्था द्वारा Print कर अनुमोदित मात्रा का Order एवम Receipt की Entry पहले की तरह ही करना होगा ।
- यदि CMHO से Forward होने या CMHO/DH के Apply करने के पस्चात CGMSC द्वारा 48 घंटे मे Decision नहीं लिया जाता है उस स्थिति मे Automatic NOC Issue कर दिया जायेगा |
- किसी भी प्रकार के Emergency Situation मे CMHO Store द्वारा DHS या CGMSC मुख्यालय से Telephonic चर्चा कर NOC लिया जा सकेगा ।

Step 1: Facility Online मे लॉग इन करने के बाद Facility Menu के Sub-Menu में Monthly Indent/NOC पर Click करेंगे|



Step 2: Indent/NOC का Page प्रदर्शित होगा, जिसमे Generate button पर Click करेंगे। जिस सामाग्री के लिये NOC की आवश्यकता है एवं जिसका Annual Indent, CMHO द्वारा Fixed किया गया है ,उसकी QTY की Entry कर Actions के अंतर्गत ✔ बटन पर क्लिक करें।



Step 3: For Example CHC Tilda से Data प्रदर्शित किया गया है । किसी Items का यदि CGMSC warehouse में स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो Monthly Indent Placed होगा और यदि स्टॉक उपलब्ध नही है तो संबंधित CMHO को NOC के लिए Request Forward हो जाएगी | (in case of CHC/CH/MCH/UPHC/PHC)




| Sl. No. | Item code & description | Warehouse Stock (ready for issue) (in Nos) | Other Warehouse Stock (ready for issue) | Warehouse Stock (QC Pending) (in Nos) | Estimated date for QC Release | Stock In Hand (in Nos) | Annual Indent Details | To be Requested Qty (in Nos) | Remarks(if any) | Actions | To be Indented Qty (in Nos) | be Qty | CGMSCL Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D395A Paracetamol 150mg/ml Injection<br>Strength: IM<br>SKU: 2ml amp<br>Type: INJ<br>Pack Qty:<br>EDL Type : EDL | 0 | 0 | 70550 | | 0 | Annual Indent: 2000<br>WH Issue 24-25: 0<br>NOC 24-25: 0<br>Balance AI 24-25: **2000** | 3000 | | | 0 | 200 | Noc Pending For Approval |
| 2 | D37M Amoxicillin + Clavulanic acid 625 Tablet I.P<br>Strength: Amoxicillin 500mg and Clavulanic acid 125mg (625mg)<br>SKU: 10 x 6<br>Type: TAB<br>Pack Qty: 60<br>EDL Type : EDL | 0 | 0 | 0 | | 0 | Annual Indent: 25000<br>WH Issue 24-25: 0<br>NOC 24-25: 0<br>Balance AI 24-25: **25000** | 1500 | | | 0 | 1500 | Noc Pending For Approval |
| 3 | D395 Paracetamol 500 mg Tab. IP<br>Strength: 500 mg<br>SKU: 10 X 10<br>Type: TAB<br>Pack Qty: 100<br>EDL Type : EDL | 15327200 | 1449703 | 0 | | 260800 | Annual Indent: 700000<br>WH Issue 24-25: 362400<br>NOC 24-25: 0<br>Balance AI 24-25: **337600** | 2000 | | | 2000 | 0 | Indent Placed |
| 4 | D42 Anti Rabies vaccine (cellular Culture) I.P. (Intra Muscular)<br>Strength: 2.5 I.U. per dose.<br>SKU: 05 ml Vial<br>Type: INJ<br>Pack Qty: 10<br>EDL Type : EDL | 17381 | 220701 | 0 | | 555 | Annual Indent: 2500<br>WH Issue 24-25: 2160<br>NOC 24-25: 0<br>Balance AI 24-25: **340** | 20 | | | 20 | 0 | Indent Placed |
| 5 | Strength:<br>SKU: Type: PackQty:<br>EDL Type : | | | | | | Annual Indent: / AI Transfer Received From Other Facility 24-25:<br>WH Issue 24-25: / NOC 24-25:<br>AI Transfer To Other Facility 24-25: / Balance AI 24-25: | | | | | | |

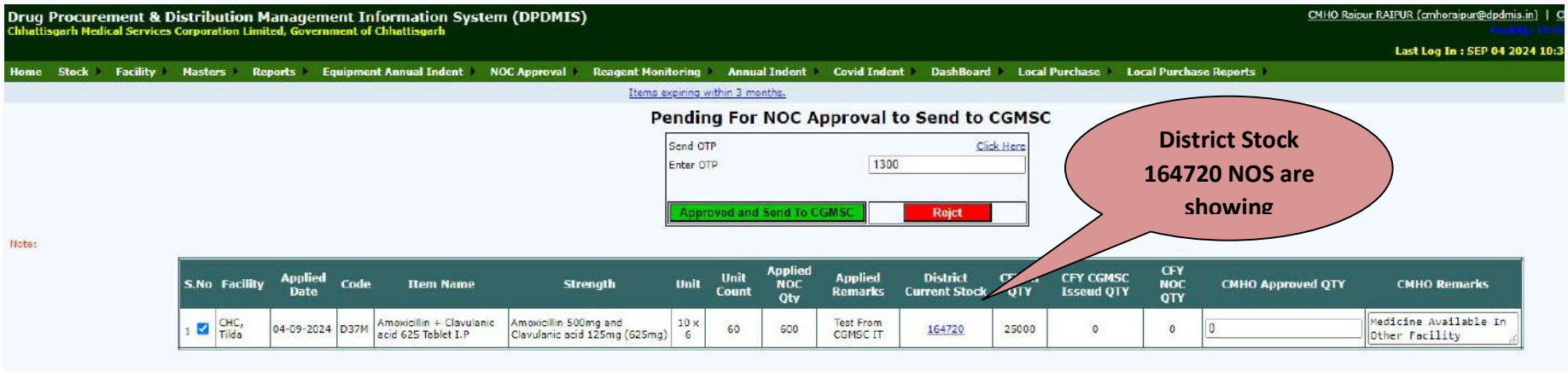
Preview Indent | Preview NOC | Complete | Delete

# CMHO Login Level

Step 4: CMHO Store Login में NOC Approval Menu के Sub-Menu, NOC Send for Approval (CMHO) पर Click करेंगे।



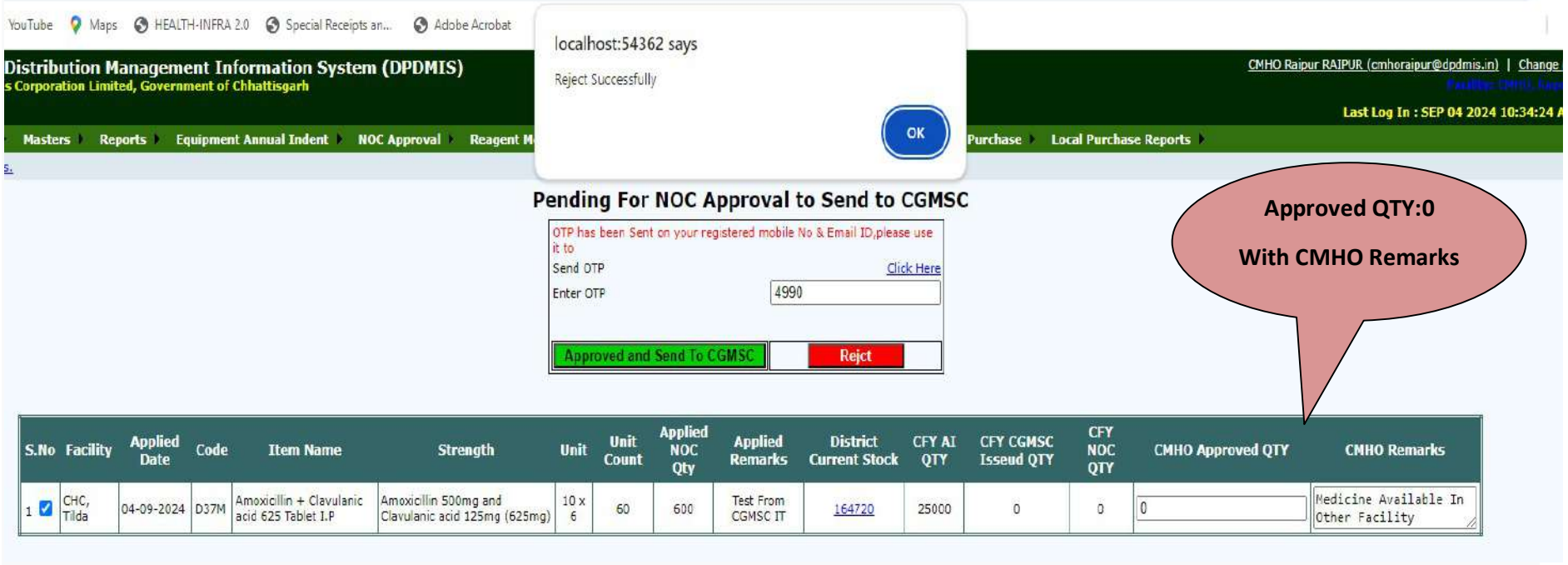

Step 5: Next Page ओपन होगा, जिसमे स्वास्थ्य संस्थाओ द्वारा Applied NOC Request, Show होंगे|



Step 6 : **Reject NOC by CMHO Store**

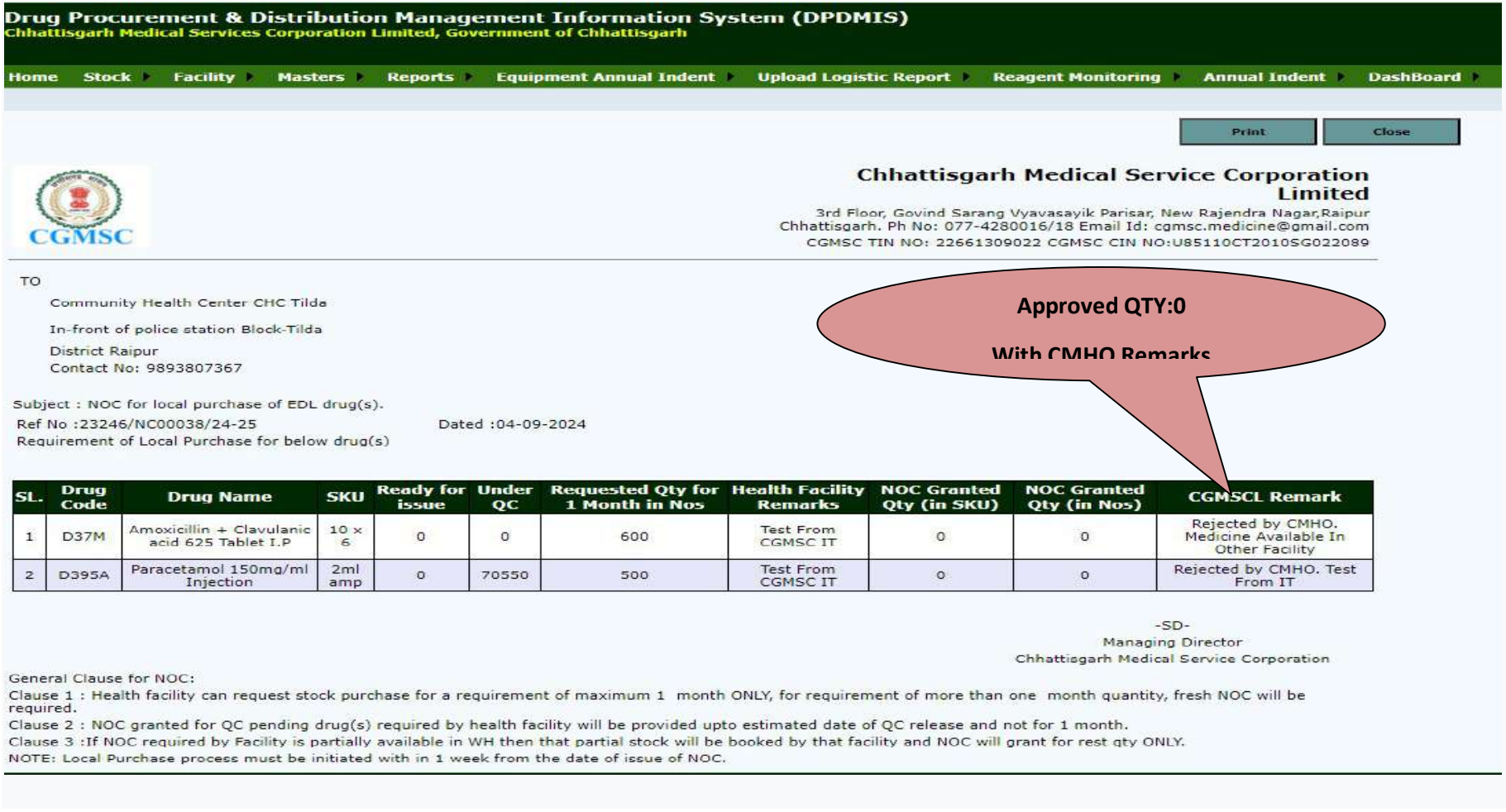
यदि जिले में **Excess Stock availble** है या CMHO Store द्वारा LP कर स्टॉक रखा हुआ है , उस स्थिति में CMHO Store को Applied NOC की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तथा Reject कर अन्य संस्था या CMHO से Transfer किया जा सकेगा |

For Example : D37M Amoxycllin+Clavulanic Acid625 mg tablet अन्य संस्था में उपलब्ध है, इस स्थिति में remarks डालकर OTP की प्रविष्टि करेगे , CGMSC को यह NOC Forward नहीं होगी, क्योकि CMHO Store से ही Reject कर दिया गया |



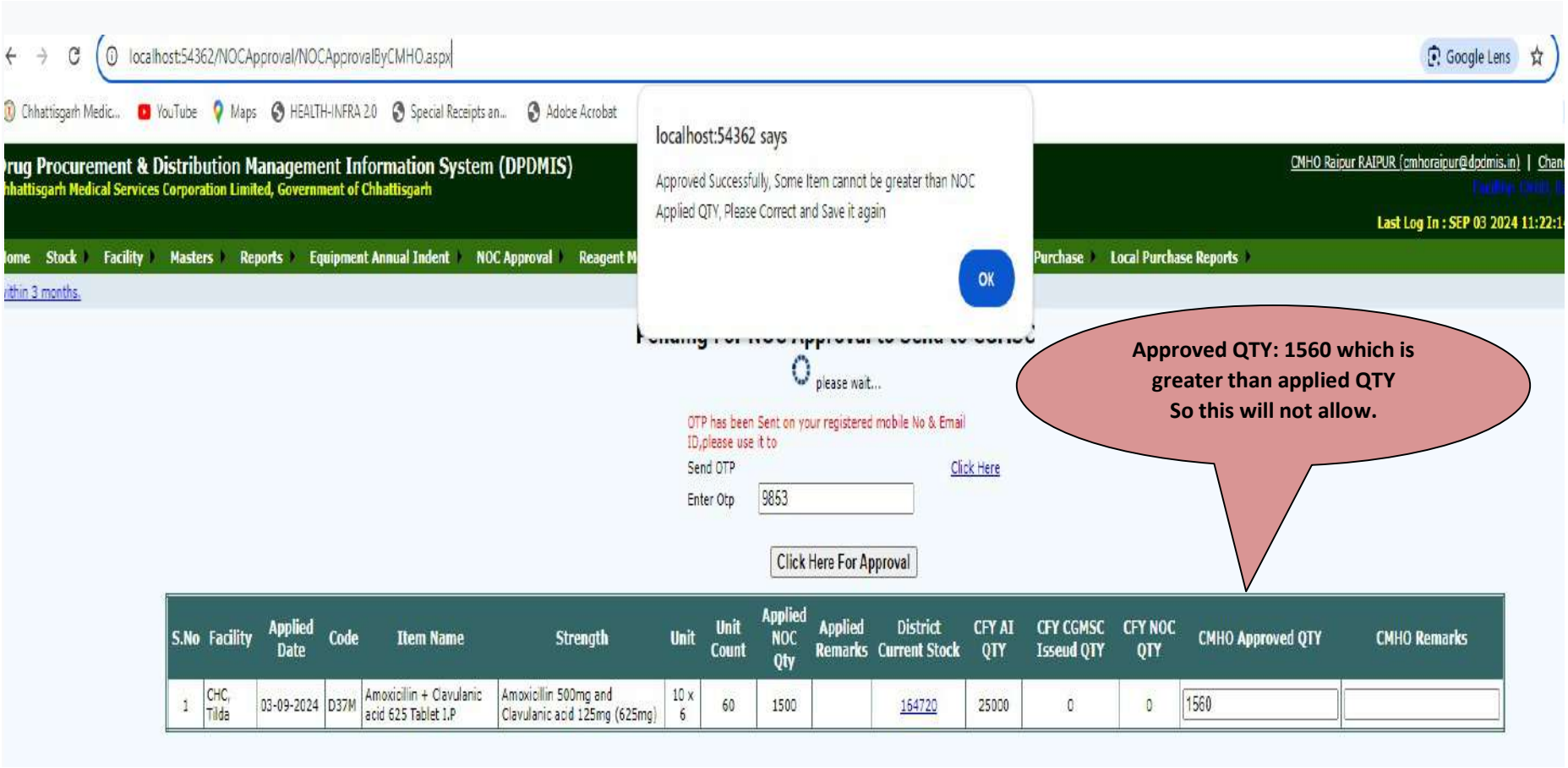
Step 7: **Display of Rejected NOC in Health facility end**

CMHO Store द्वारा यदि NOC reject कर दी जाती है, उस स्थिति में संस्था स्तर पर NOC को क्लिक करते ही निम्नानुसार CMHO Store के रिमार्क के साथ प्रदर्शित होगा:-



**Step 8: Approved & Send to CGMSC Button**

स्वास्थ्य संस्थाओ द्वारा Request किये गये लिस्ट में CMHO Approved Qty प्रविष्ट करें और Send OTP पर क्लिक करेंगे जिससे Registered Mobile No. पर OTP Send होगी | OTP डालने के पश्चात "**Approved & Send to CGMSC" button** पर क्लिक करेंगे जिससे Request Approved हो जाएगी और CGMSC को forward हो जाएगी।



**Step 9:** CGMSC Approved NOC based on CMHOs Request

CMHO store द्वारा Forward किये गए NOC को CGMSC Head office से निम्नानुसार Approved करने के पश्चात ही




- CGMSC द्वारा, Other warehouse मे स्टॉक एवं Under QC की संख्या को देखते हुए प्रबंध संचालक से अनुमोदन प्राप्त कर NOC प्रदान किया जायेगा|
- यदि किसी अन्य Warehouse में स्टॉक उपलब्ध है उस स्थिति में Inter Warehouse Transfer कराकर दवा उपलब्ध कराया जायेगा|
- यदि 48 Hours में CGMSC, निर्णय नहीं लेता , उस स्थिति में Applied QTY के अनुसार ही NOC Automatic Generate हो जाएगी |

**Drug Procurement & Distribution Management Information System (DPDMIS)**
**Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited, Government of Chhattisgarh**

Home | Stock | Facility | Masters | Reports | Equipment Annual Indent | Upload Logistic Report | Reagent Monitoring | Annual Indent | DashBoard | Local Purc

Items expiring within 3 months.

Print Close

CGMSC

**Chhattisgarh Medical Service Corporation Limited**

3rd Floor, Govind Sarang Vyavasayik Parisar, New Rajendra Nagar,Raipur
Chhattisgarh. Ph No: 077-4280016/18 Email Id: cgmsc.medicine@gmail.com
CGMSC TIN NO: 22661309022 CGMSC CIN NO:U85110CT2010SG022089

TO
District Hospital
MANDI GATE PANDRI
Raipur
Contact No: 8319851879

Request NOC QTY 500

NOC Given by CGMSC is 50 as Physical QTY is under QC

Subject : NOC for local purchase of EDL drug(s).
Ref No :23389/NC00058/24-25 Dated :04-09-2024
Requirement of Local Purchase for below drug(s)

| SL. | Drug Code | Drug Name | SKU | Ready for issue | Under QC | Requested Qty for 1 Month in Nos | Health Facility Remarks | NOC Granted Qty (in SKU) | NOC Granted Qty (in Nos) | CGMSCL Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D395A | Paracetamol 150mg/ml Injection | 2ml amp | 0 | 70550 | 500 | | 50 | 50 | Inj is U-QC and about to Pass so take small qty for emergency. |

-SD-
Managing Director
Chhattisgarh Medical Service Corporation

General Clause for NOC:
Clause 1 : Health facility can request stock purchase for a requirement of maximum 1 month ONLY, for requirement of more than one month quantity, fresh NOC will be required.
Clause 2 : NOC granted for QC pending drug(s) required by health facility will be provided upto estimated date of QC release and not for 1 month.
Clause 3 :If NOC required by Facility is partially available in WH then that partial stock will be booked by that facility and NOC will grant for rest qty ONLY.
NOTE: Local Purchase process must be initiated with in 1 week from the date of issue of NOC.

Copyright © 2013 Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited All Rights Reserved. Version